

अन्न अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, डीग

सुभाष सिंह बनाम उर्मिला वगै०

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख

हुक्म

किस्म:- अन्तर्गत धारा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

54/25

नम्बर :-

नम्बर व तारीख  
अदालत जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

13.08.2025

सायल के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पर सायल के विद्वान वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। सायल के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं क्षति सायल के पक्ष में प्रतीत होती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए दर्ज रजिस्टर किया जावे।

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैर सायलान इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 2175/0.23, 2176/0.20, 2259/0.32, 2502/1.54, 2503/0.01, 2504/1.47, 2731/0.49, 3697/0.13, 3699/0.19, 3704/0.25, 3705/0.21, 3709/0.24, 3713/0.26, 3727/0.71, 3733/0.32, 3783/0.22, 3914/0.23, 3920/0.33, 3921/0.12, 3922/0.17, 3923/0.10 कुल किता-21 कुल रकबा 27.74 हेक्टे० वाके कस्बा डीग द्वितीय तहसील डीग में स्थित आराजीयात पर रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु गैर सायलान संख्या 01 लगायत 23 को आगामी आदेश तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। गैर सायलान की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से कराई जावे।

यदि उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में किसी को कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें।  
आयन्दा पत्रावाली वास्ते तलबी गैर सायलान रजिस्टर्ड ए.डी. कराई जाकर दिनांक 26.09.2025 को पेश हो।

(देवी सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, डीग

16/9/25

16/9/25 पर हुक्म पर से खेती/पट्टे के आख. वास्ते/सायल के पर हुक्म के कार्या पर खारिज किया जा चुका है अतः इस हुक्म पर से खारिज किया जाता है पर हुक्म पर हुक्म लेजा गया के अरु है

16/9/25

उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.